संख्या-11/2024-वे0आ0-2-535/दस-2024-ई0प0(क0सं0-1784343)

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2024**

विषय : नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न स्तर के पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत् बनाये रखा जाये।

(2) प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के पदों पर निम्न तालिका के स्तम्भ-2 के अनुसार निर्धारित वर्तमान पदनामों के स्थान पर स्तम्भ-3 के अनुसार पदनाम निर्धारित किये जायें:-

क्र0सं0	वर्तमान पदनाम	संशोधित पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	स्टाफ नर्स	नर्सिंग अधिकारी
2	नर्सिंग सिस्टर/नर्सिंग वार्ड मास्टर	सीनियर नर्सिंग अधिकारी
3	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सहायक नर्सिंग अधीक्षक
4	उप नर्सिंग अधीक्षक	उप नर्सिंग अधीक्षक
5	नर्सिंग अधीक्षक	नर्सिंग अधीक्षक
6	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	मुख्य नर्सिंग अधिकारी

(3) केन्द्र सरकार से समरूपता के अनुरूप प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु नर्सिंग में बी0एस0सी0 (ऑनर्स) के साथ 06 माह का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ ढाई वर्ष का अनुभव की अर्हता निर्धारित की जाये।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in